

पत्रांक-बि०प्र०सु०मि०सो०/स्था०-113/2015 (खण्ड-1) सो०.....<sup>326</sup>  
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी  
(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

डॉ० प्रतिमा,  
अपर मिशन निदेशक।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
अररिया।

पटना, दिनांक- 4/2/2019

विषय:- नियोजनमुक्त कार्यपालक सहायकों (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) के पुनर्नियोजन के संबंध में।

प्रसंग:- समाहरणालय अररिया का पत्रांक-682/स्था०, दिनांक-28.09.2018

महाशय,


उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र नियोजनमुक्त कार्यपालक सहायकों (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) के पैनल के वैधता की अवधि के समाप्त होने के उपरान्त पुनर्नियोजन के मार्गदर्शन के संबंध में प्राप्त हुआ है।

मिशन कार्यालय का पत्रांक-909, दिनांक-02.07.2018 के कंडिका-10 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

उक्त के आलोक में कृपया तदनुसार कार्रवाई करें।


अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
(डॉ० प्रतिमा)

अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांक- बि०प्र०सु०मि०सो०/स्था०-113/2015 (खण्ड-1)सो०.....<sup>326</sup>, दिनांक.....<sup>4/2/2019</sup>  
प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
अपर मिशन निदेशक

पत्रांक-बि0प्र0सु0मि0सो0/स्था0-38/2018 सो0-909  
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी  
(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,  
 मिशन निदेशक-सह-प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
 बिहार।

पटना, दिनांक- 02/07/2018

विषय:- नियोजनमुक्त आई.टी. सहायकों/कार्यपालक सहायकों (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) के पुर्ननियोजन के संबंध में।

महाशय,

शासी परिषद की दिनांक 24.05.2018 को सम्पन्न बैठक में शासी परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत नियोजित कार्यपालक सहायकों/आई.टी. सहायकों में से नियोजनमुक्त (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) कार्यपालक सहायकों/आई.टी. सहायकों का अलग पैनल सृजित करते हुए भविष्य में प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं में आर्दश आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए सर्वप्रथम इस नवसृजित पैनल से नियोजन की कार्रवाई की जायेगी।

शासी परिषद के उपरोक्त निर्णय के क्रम में नियोजनमुक्त कार्यपालक सहायकों/आई.टी. सहायकों (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) हेतु अलग पैनल के निर्माण एवं उनके पुर्ननियोजन दिशा निदेश निम्नवत् है :-

1. सभी जिलों द्वारा उनके जिले के नियोजनमुक्त कार्यपालक सहायकों (अनुशासनिक कारणों के आधार पर नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) हेतु एक अलग पैनल एवं नियोजनमुक्त आई.टी. सहायकों (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) हेतु एक अलग पैनल का निर्माण किया जायेगा।

2. सर्वप्रथम जिला के संबंधित कार्यालय (जिसके द्वारा पैनल निर्माण, नियोजन एवं नियोजनमुक्त संबंधित कार्रवाई की जाती है) द्वारा अपने अभिलेखों/दस्तावेजों के आधार पर नियोजनमुक्त आई.टी. सहायकों/कार्यपालक सहायकों की सूची तैयार की जायेगी जिसमें नियोजनमुक्त की तिथि एवं कारण विशेषकर अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों के संबंध में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ताकि नियोजनमुक्त की तिथि एवं कारणों का सत्यापन करने के क्रम में नियोजनमुक्त कर्मियों के आवेदन/दावा पर विधिवत निर्णय लिया जा सके।

3. जिला द्वारा पैनल निर्माण हेतु वैसे नियोजनमुक्त आई.टी. सहायकों/कार्यपालक सहायकों (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) जो पुर्ननियोजन हेतु इच्छुक है, से आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा। त्याग पत्र के मामले को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जायेगा। एकरूपता एवं सुलभ प्रसंग हेतु विज्ञापन का प्रारूप तथा आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार कर पत्र के साथ दिया जा रहा है। विज्ञापन का प्रकाशन कम से कम जिला के तीन प्रमुख अखबारों में तथा जिला के वेबसाइट पर किया जायेगा।

4. विज्ञापन में आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि का वर्णन किया जायेगा (जो विज्ञापन प्रकाशन के तिथि से 30 दिन बाद की तिथि होगी)।

5. नियत तिथि तक प्राप्त आवेदनों के आलोक में सुयोग्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का पैनल तैयार करने का कार्य जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन समिति द्वारा संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध अभिलेखों/दस्तावेजों के आधार पर नियोजनमुक्त आई.टी. सहायकों/कार्यपालक सहायकों के आवेदनों में पुर्ननियोजन संबंधित निहित दावा की जाँच की जायेगी।

6. जॉच/सत्यापन के क्रम में सही पाये गये नियोजनमुक्त आई.टी. सहायकों/कार्यपालक सहायकों (अनुशासनिक कारणों से नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) के नियोजनमुक्ति की तिथि के आवर्ती क्रम में नियोजनमुक्त आई.टी. सहायकों एवं नियोजनमुक्त कार्यपालक सहायकों का अलग-अलग पैनल तैयार किया जायेगा। अर्थात् पहले नियोजनमुक्त कर्मियों को बाद में नियोजनमुक्त कर्मियों की तूलना में, पैनल में शामिल किये जाने में क्रम में वरीयता प्रदान की जाएगी, चाहे वो किसी भी वर्ष अथवा किसी भी पैनल से नियोजित किये गये हों। पैनल निर्माण में वरियता निर्धारण के क्रम में नियोजनमुक्त कर्मियों के नियोजनमुक्ति की तिथि समान होने की स्थिति में आयु के आधार पर वरियता दी जायेगी।

7. चयन समिति द्वारा तैयार किये गए पैनल का प्रकाशन जिला के तीन प्रमुख अखबारों में तथा जिला के वेबसाइट पर किया जायेगा एवं तत्संबंधी सूचना सभी आवेदकों को पत्र, ईमेल एवं एस0एम0एस0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

8. भविष्य में इन पदों पर नियोजन हेतु उत्पन्न होने वाली रिक्तियों/प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं के आलोक में सर्वप्रथम इस नवसृजित पैनल से आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुये नियोजन की कार्रवाई की जायेगी। इस पैनल के अंतर्गत संगत कोटि के अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में जिला स्तर पर पूर्व से तैयार वैध पैनल (जिसकी तीन साल की अवधि समाप्त नहीं हुई है) से आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए नियोजन की कार्रवाई की जायेगी।

9. उपरोक्त प्रक्रिया के तहत नवसृजित पैनलों की वैधता मात्र एक साल की होगी।

10. पैनल के प्रकाशन के उपरांत नियोजनमुक्त होने वाले आई0टी0 सहायक/कार्यपालक सहायक (अनुशासनिक कारणों के आधार पर नियोजनमुक्त कर्मियों को छोड़कर) के मामले में उपरोक्त प्रक्रिया अपनाते हुये, नवसृजित पैनलों की वैधता समाप्त होने के उपरांत, आवेदन/सहमति प्राप्त कर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अगले पैनल का निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त प्रक्रिया के साथ पैनल निर्माण हेतु निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार कार्यवाई सुनिश्चित की जाये :-

क्र0स0	गतिविधि	गतिविधि पुरा करने हेतु निधारित अंतिम तिथि
1	जिलो द्वारा अपने अभिलेखो/दस्तावेजो के आधार पर नियोजनमुक्त आई.टी. सहायकों/कार्यपालक सहायकों की सूची तैयार करने की कार्रवाई	10 जुलाई 2018 तक
2	विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई	15, जुलाई 2018 तक
3	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	14, अगस्त 2018 तक
4	पैनल का निर्माण एवं प्रकाशन	30, अगस्त 2018 तक

कृपया इसे उचित प्राथमिकता दी जाये।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(M)

(आमिर सुबहानी)

मिशन निदेशक-सह-प्रधान सचिव

2.7.18